तन्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 07/2025 (GCMS 2025/106)

श्रीमती संजू पत्नी स्व. राकेश कुमार जाखड़ आयु करीब 32 वर्ष निवासी गांव घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अरविन्द जाखड एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक की बहस दिनांक 18.08.2025 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :

प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत घमूड़वाली से घमूड़वाली डिपो होल्डर द्वारा माह जून, 2020 में वितरण होने वाली माह मई जून 220 की कुल 02 किलो चना दाल के स्थान पर 01 किलो चना दाल उपभोक्ताओं को दिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार संजू/राकेश कुमार, ग्राम पंचायत घमूड़वाली पीओएस 11476 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का आकस्मिक निरीक्षण करके जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6, 7 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकरण पत्र की शर्त संख्या 15,14,15,17(सी) व 18 का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 08.06.2020 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया तथा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 19.10.2020 से उक्त प्राधिकार पत्र रद्द किया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान न्यायालय, जोधपुर में एसबी सिविल रिट पैटीशन नंच 3093/2021 पेश की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.03.2025 से अपीलार्थी की रिट खारिज कर, सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.04.2025 को हस्तगत अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अधि[illegible] कथन किया है कि अपीलार्थी श्रीमती संजू को विधवा होने के कारण व उसके पास आय का स्वतंत्र साधन न होने के कारण जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने एक उचित मूल्य की

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दुकान ग्राम पंचायत एरिया घमूड़वाली तहसील पदमपुर में राशन वितरण हेतु दिनांक 18.09.2009 को आवंटित की गई थी जिसका लाईसेंस का नम्बर 755 / 2009 है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 06.03.2017 को श्री पवन कुमार को उक्त दुकान पर कार्य करने के लिए सहायक नियुक्त किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उचित मूल्य की दुकान गांव घमूड़वाली तहसील पदमपुर में खाद्यान, कैरोसिन ऑयल की सप्लाई हेतु सामान का वितरण अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार होता रहा है, किसी भी आदमी को कोई एतराज नहीं रहा है परन्तु कुछ राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की थी। जिला रसद अधिकारी ने राजनैतिक कारणों से प्रभावित होकर दिनांक 08.06.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स एक तरफा तौर पर निलम्बित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकाररी के कार्यालय में अपीलार्थी पर लगाये गये प्रत्येक आरोप का विधिवत रूप से जवाब दिया मगर जवाब पेश करने के बावजूद अपीलार्थी को सबूत का मौका दिये बिना एवं गांव के अन्य व्यक्तियों की गवाही लिए बिना राजनैतिक दबाव के कारण, अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 755 / 2009 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 19.10.2020 को निरस्त कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी एक महिला है जो उचित मूल्य की दुकान चलाने के साथ अपना घरेलू कार्य भी करती है और उचित मूल्य की दुकान का सामान स्वयं द्वारा विधि द्वारा नियुक्त सहायक की मदद से नियमानुसार वितरण करती रही है। उस पर लगाये गये सभी आरोप मिथ्या एवं झूठे है। शिकायतकर्त्ता मेरा डीपू का लाईसेन्स निरस्त करवाकर स्वयं लाईसेंस लेना चाहते है, इसलिए अपीलार्थी का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने की प्रार्थना की है ताकि अपीलार्थी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया है कि निरीक्षण के समय उचित मूल्य दुकान पर संजू पत्नी राकेश कुमार दुकान पर उपस्थित नही थी तथा दुकान का संचालन मौके पर पवन कुमार पुत्र ओम प्रकाश द्वारा किया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि निरी[illegible] के [illegible]न दिनेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी घमूड़वा[illegible] की गई, जिसमें बताया गया कि संजू पत्नी राकेश पिछले लगभग [illegible] वर्षों से घमूड़वाली में नही रही ना ही पंचायत में उसके नाम से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता आदि जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested.

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि माह जून 2020 में माइ मई–जून 2020 की एक–एक किलो चना दाल कुल दो किलो दाल का वितरण किया जाना था परन्तु जांच में दुकानदार द्वारा दो किलो चला दाल की ऑनलाईन ट्रांजेक्शन दर्ज कर उपभोक्ताओं को दिनांक 03.06.2020 तक एक किलो दाल का वितरण किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जांच के वक्त ग्राम पंचायत घमूड़वाली की दोनों उचित मूल्य दुकान संजू पत्नी राकेश कुमार (11476) एवं उग्रसेन पुत्र लालचन्द (29928) एक ही व्यापार स्थल पर संचालित होती पाई गई और दोनों दुकान के स्टॉक का मिलान करने पर भौतिक सत्यापन मे व्यापार स्थल पर 1262 किलोग्राम के स्थान पर 1295 किलोग्राम चना दाल पाई गई। इस प्रकार स्टॉक में 33 किलोग्राम चना दाल अधिक पाई गई। इसलिए उक्त सजू पत्नी राकेश कुमार का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स संजू पत्नी राकेश कुमार, ग्राम पंचायत घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पोस मशीन संख्या 11476 का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार थी। अन्तर्राष्ट्रीय आपदा कोविड–19 के मध्यनजर उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर श्री संदीप गौड़ द्वारा दिनांक 04.06.2020 को उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने विभागीय प्रकरण संख्या 153 / 2020 आदेश दिनांक 19.10.2020 से उचित मूल्य दुकानदार, मैसर्स संजू पत्नी राकेश कुमार ग्राम पंचायत घमूड़वाली, पोस मशीन संख्या 11476 को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 755 / 2009 को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया गया था तथा इनके प्राधिकार पत्र की निक्षेप प्रतिभूति राशि का समपहरण करने के आदेश दिये गये थे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.10.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय [illegible]पुर [illegible] एसबी सिविल रिट पैटीशन संख्या 3093 / 2021 पेश की थी, [illegible] उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी संजू की अपील दिनांक 03.03.2025 को खा[illegible] कर सक्षम न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी श्री राकेश कुमार की मृत्यु हो जाने के पश्चात, संजू पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार को प्राधिकार पत्र संख्या 755 दिनांक 18.09.2009 को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के उपबधों के अधीन विधवा कोटे से प्राधिकृत किया गया है तथा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक एफ32( )( )/रसद/एफपीएस/सहा.नियु. /16/1716 दिनांक 06.03.2017 से श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी घमूड़वाली को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत घमूड़वाली तहसील पदमपुर को श्रीमती संजू के सहायक के रूप में अधिकृत किया गया है, इसलिए पवन कुमार पुत्र ओम प्रकाश उक्त उचित मूल्य दुकान पर प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित होकर सहायता कर सकता है।

शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायत दिनांक 05.06.2020 में गत 18 वर्षों से गांव घमूड़वाली मे निवास नही करने के आरोप लगाये गये है जबकि उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती संजू को अपने पति राकेश कुमार की मृत्यु के पश्चात विधवा कोटे में दिनांक **18.09.2009 को प्राधिकृत किया** गया है। अपीलार्थी श्रीमती संजू का प्राधिकार पत्र जारी किये हुए **2009 से शिकायत दिनांक 05.06.2020 तक लगभग 11 वर्ष ही हुए है। शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायत में** अपीलार्थी संजू का घमूड़वाली में निवास नहीं करने के आरोप लगाये गये, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी संजू ने ग्राम पंचायत, घमूड़वाली का वारिस प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पेश किया है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी श्रीमती संजू ने दिनांक 21.09.2019 को सरपंच, ग्राम पंचायत, घमूड़वाली, दिनांक 20.09.2019 को वार्ड पंच वार्ड नं. 4 एवं 05, ग्राम पंचायत घमूड़वाली, दिनांक 13.09.2025 को वार्ड नं. 5, ग्राम पंचायत घमूड़वाली, दिनांक 09.09.2025 को वार्ड नं. 3, ग्राम पंचायत घमूड़वाली, दिनांक 07.09.2025 को वार्ड नं. 6, ग्राम पंचायत घमूड़वाली द्वारा जारी दस्तावेजों की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अपीलार्थी श्रीमती संजू पत्नी राकेश कुमार घमूड़वाली में निवास करती है। इसलिए शिकायतकर्ता का 18 वर्षों से गांव घमूड़वाली निवास नहीं करने के आरोप निराधार प्रतीत होते है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी [illegible] द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.10.2020 के पृष्ठ संख्या 01 के [illegible] 01 अंकित किया गया है कि प्रवर्तन अधिकारी पदमपुर को [illegible] गया और [illegible] आधार पर ही उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसलिए अपीलार्थी [illegible] यह कथन कि उसकी उचित मूल्य दुकान का लाईसेंस एक तरफा तौर पर निलम्बित किया गया है, सही प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 07/2025
(GCMS 2020/106)

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र में निबंधन एवं शर्तें अंकित है, जो निम्नानुसार अवलोकनीय है:

1. कोई भी प्राधिकार धारक कलक्टर की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना इस प्राधिकार में विनिर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं करेगा।
2. कोई भी प्राधिकार धारक कारोबार के समय के दौरान उसे विधि मान्य अनुज्ञापत्र, मांगपत्र, राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापत्र, मांगपत्र, राशनकार्ड पर खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक पदार्थों पर की बकाया सीमा तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा।
3. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा जो राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा नियत की गयी है या किन्ही भी अन्य आवश्यक पदार्थों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या विनिर्मिति यथा स्थिति, द्वारा इस निमित्त नियत की जावे।
4. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के समरूप किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय के लिए स्टॉक का धारण राज्य सरकार या कलक्टर की अनुमति के सिवाय नहीं करेगा।
5. प्राधिकार पत्र धारक प्रारूप (सी) में एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की प्रतिदिन होने वाली प्राप्ति व विक्रय को सही–सही रूप में दिखाया जायेगा। अधिकृत थोक विक्रेता द्वारा प्रारूप (डी) में व प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार द्वारा प्रारूप (ई) में भी एक दैनिक विक्रय रजिस्टर रखा जायेगा। अनुज्ञप्तियों, वाउचर आदि लेखे संबंधी समस्त पुस्तकें प्राधिकार में विनिर्दिष्ट कारोबार स्थान पर रखी जायेंगी व आवश्यकता पडने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना होगा।
6. प्रत्येक प्राधिकार धारक प्रारूप (एफ) में स्[illegible] व [illegible] की सही मासिक विवरणी कल[illegible] जिस माह से वह सम्बन्धित है उसके समाप्त होने के पश्चात पांच दिन के भीतर उनके पास पहुंच जाये।
7. प्रत्येक प्राधिकार धारक अपने कारोबार संबंधी ऐसी कोई सूचना जो कलक्टर उससे मांगे, सही–सही रूप में प्रस्तुत करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

8. प्राधिकार धारक खाद्यान्नों की प्रत्येक किस्म व अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रारम्भिक स्टॉक, अधिशेष स्टॉक व कीमत अपने कारोबार परिसर के किसी सहज दृश्य स्थान पर मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करेगा।

9. प्रत्येक प्राधिकार धारक कलक्टर द्वारा नियत कारोबार के घण्टों का कडाई से पालन करेगा व अपनी दुकान, स्थान या कारोबार को ऐसे घण्टों के दौरान ठीक समय पर व नियमित रूप से खोलेगा।

10. प्रत्येक प्राधिकार धारक खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं के विक्रय, भण्डारकरण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले किसी स्थान या परिसर में अपने धारक व लेखों के निरीक्षणार्थ युक्तियुक्त समय पर समस्त सुविधाएं मुहैया करायेगा।

11. प्राधिकार धारक राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा जो उसे प्रदाय के समस्त कमीशन, भंडारकरण संचालन, मूल्य धारियों यथा खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय भण्डारकरण आदि संबंधित मामलों के संबंध में दिये जाने वाले निर्देशों या अनुदेशों की पालना करेगा।

12. प्राधिकार पत्र धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेदार होगा व किसी अन्य घटिया किस्म के साथ अपमिश्रण नही करेगा।

13. प्राधिकार पत्र धारक को किसी वस्तु आदेश पर कतिपय परिमाण तक खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं का किया गया कोई आवंटन उसे यह अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि वह ऐसी मात्रा में ऐसे आवंटन को चालू रखने का दावा कर सके व कलक्टर को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से, बिना कोई कारण बताये कोई आवंटन रद्द कर सके या उसमें फेरफार कर सके तथा प्राधिकार पत्र धारक आवंटन रद्द करण या उसमें फेरफार के लिए किसी नुकसानी या प्रतिकर का दावा सरकार से करने का हकदार नहीं होगा।

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार के लिए विशेष शर्तें

14. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार, सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदाय किये गये खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय सीधे ही कलक्टर [illegible] व्यक्तियों को तथा केवल उन उपभोक्ताओं [illegible] नके राशनकार्ड उसकी दुकान पर [illegible] में दर्ज कर लिये गये हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

15. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार र[illegible]कार्ड धारक द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा को ऐसी खरीद की तारीख के साथ राशनकार्ड में निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करेगा।

14
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

16. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार स्वयं के राशनकार्ड के अलावा किसी व्यक्ति का राशनकार्ड अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उस समय के सिवाय जबकि राशनकार्ड खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुविधापूर्वक वितरण के लिए किसी दिये गये समय पर दुकान पर वास्तव में उपस्थित व्यक्तियों से सम्यक रूप से एकत्रित किये जायें।

17. कोई भी उचित कीमत दुकानदारः—

क— किसी को भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड तैयार करने या प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा या

ख— किसी भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड का उपयोग नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा या

ग— अभिलेख में झूठी प्रविष्टियां करके कोई खाद्यान्न या आवश्यक वस्तुओं को नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होने के कारण एवं विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कोई अनियमितता साबित करने हेतु कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। **इसलिए उचित मूल्य दुकानदार संजू का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19.10.2020 को जारी आदेश अपास्त कर, उचित मूल्य दुकानदार पोस मशीन 11746 का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित है।**

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। पोस मशीन 11746 **का अनुज्ञा पत्र बहाल किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि उचित मूल्य दुकान का संचालन प्राधिकार पत्र में अंकित शर्तें की पालना करें एवं उपभोक्ताओं के साथ सौम्यता का व्यवहार रखें। उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती संजू के विरूद्ध किसी अन्य अधिनियम के कोई प्रकरण विचाराधीन है तो सक्षम अथोरिटी/न्यायालय में नियमानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के स्वतंत्र होगे।** आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर